

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
॥ कार्यालय आदेश ॥

सं०सं०-04/HFA-10/2016- 838 /न०वि०एवंआ०वि०, पटना दिनांक- 01/8/16

सबके लिए आवास (शहरी) HFA योजना के अधीन राज्य के 36 नगर निकायों में स्वीकृत (लाभार्थी आधारित आवास निर्माण घटक) योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश General मद की राशि 7911.99 लाख रु० एवं राज्यांश की राशि 2637.34 लाख रु० अर्थात् कुल 10549.33 लाख रु० (एक सौ पाँच करोड़ उनचास लाख तैंतिस हजार रु० मात्र) की राशि निम्नांकित नगर निकायों के नाम के सम्मुख अंकित राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है:-

(राशि लाख रु० में)

क्रम सं०	नगर निकाय का नाम	स्वीकृत आवासों की संख्या	केन्द्रांश की विमुक्त राशि	राज्यांश की विमुक्त राशि	विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि (4+5)
1	2	3	4	5	6
1	अमरपुर	149	84.56	28.19	112.75
2	अररिया	215	110.08	36.69	146.77
3	अरेशज	214	122.62	40.87	163.49
4	औरंगाबाद	42	1.34	0.45	1.79
5	बगहा	152	70.13	23.38	93.51
6	बहादूरगंज	830	489.30	163.10	652.40
7	बख्तियारपुर	636	365.67	121.89	487.56
8	बाँका	200	107.57	35.86	143.43
9	बरबीचा	244	130.04	43.35	173.39
10	बेगूसराय	400	170.53	56.84	227.37
11	बेनीपुर	500	275.18	91.73	366.91
12	बोधगया	110	36.96	12.32	49.28
13	दरलसिहसराय	56	20.98	6.99	27.97
14	दाउदनगर	50	14.98	4.99	19.97
15	डुमरा	411	242.38	80.79	323.17
16	फतुहा	350	192.16	64.05	256.21
17	गया	1249	643.06	214.35	857.41
18	घोघरडीहा	408	241.10	80.37	321.47
19	जहानाबाद	195	89.24	29.75	118.99
20	काँटी	1561	924.04	308.01	1232.05
21	कसबा	216	122.31	40.77	163.08
22	कसरीया	300	172.76	57.59	230.35
23	मधुबनी	340	192.29	64.10	256.39
24	मखदुमपुर	294	160.57	53.52	214.09
25	मेहसी	429	251.36	83.79	335.15
26	मोकामा	200	96.71	32.24	128.95
27	मोतिपुर	280	158.22	52.74	210.96
28	मुंगेर	816	456.65	152.22	608.87
29	मुजफ्फरपुर	769	398.59	132.86	531.45

30	नरकटिया गंज	362	206.34	68.78	275.12
31	नवीननगर	305	171.39	57.13	228.52
32	नवादा	276	160.71	53.57	214.28
33	नवगछिया	636	365.42	121.81	487.23
34	नोखा	150	82.30	27.43	109.73
35	पीरो	500	293.39	97.80	391.19
36	रफीगंज	500	291.06	97.02	388.08
	कुल	14345	7911.99	2637.34	10549.33

(एक सौ पाँच करोड़ उनचास लाख तैंतिस हजार रु०)

- संबंधित नगर निवडाय के नाम के सम्मुख केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल राशि जो स्तम्भ-6 में अंकित उसे आवंटित की जाती है। आवंटित राशि का उपयोग योजना के कार्यान्वयन हेतु किया जाय। किसी भी तरह का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा।
- योजना की पूर्णता एवं गुणवत्ता सर्वोपरि है। स्वीकृत राशि का व्यय HFA योजना के अधीन निर्गत मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर निर्गत भारत सरकार एवं विभागीय दिशा-निदेश के अनुरूप करने के लिए संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (42ए) विहित प्रपत्र में बुडा को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।
- प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अपर सचिव-सह-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 1609 पटना, दिनांक 01/8/16
प्रतिलिपि:-उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि RTGS के माध्यम से स्वीकृत राशि संबंधित नगर निकाय के द्वारा उपलब्ध कराये गये राष्ट्रीकृत बैंक खाता में भेजने की कार्रवाई करें।

अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 1609 पटना, दिनांक 01/8/16
प्रतिलिपि:-संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 1609 पटना, दिनांक 01/8/16
प्रतिलिपि:-विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव-सह-निदेशक।